



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940

No. 394]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

संख्या 59/2015-2020

**विषय:**—आयातित स्कोमेट मदों के पुनःनिर्यात/वापसी हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79ड. को सम्मिलित करना।

**फा. सं. 01/91/180/18/एम-17/ईसी.**—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79ड. में नई प्रविष्टि सम्मिलित करने हेतु तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं।

2. आयातित स्कोमेट मद (मदों) के पुनः निर्यात/वापसी से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक के उप-पैरा 2.79घ में शामिल नई प्रविष्टि को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

“पैरा 2.79ड. एक ही विदेशी इकाई अथवा इसके ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों सहित) को आयातित स्कोमेट मदों के पुनः निर्यात/वापसी हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करना

आयातित स्कोमेट मदों को जिस विदेशी इकाई से इसे मूलतः आयात किया गया है, उसे अथवा इसके ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) को पुनः निर्यात/वापसी आयातित मदों की प्रौद्योगिकी के पुराने होने, भारतीय क्रेता/वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा आर्डर रद्द किए जाने, पहुंचने पर खराब होने इत्यादि जैसे कारणों से प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदन पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा:—

(क) निर्यात केवल उस इकाई जहां से मद (मदों) का आयात किया गया है, अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों सहित) को किया जाना चाहिए।

- (ख) 'वास्तविक उपयोग' और 'वास्तविक उपयोग प्रमाणपत्र' संबंधी कोई विवरण अपेक्षित नहीं होगा।
- (ग) समय-समय पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा यथा आकलित यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों या उच्च जोखिम वाले देशों/इकाईयों हेतु कोई निर्यात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (घ) आवेदन को निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों (जो भी लागू/उपयुक्त हों) के साथ प्रस्तुत किया जाए:

#### I. मद (मदों) के आयात का प्रमाण:

- क. दस्तावेजी प्रमाण जिससे प्रमाणित हो कि पुनः निर्यात/वापसी के लिए अपेक्षित मद (मदें) मूलतः आयातित मद (मदों) से मेल खाते हैं;
- ख. प्रविष्टि बिल जिसमें वापस की जाने वाली मदों का विवरण हो;
- ग. निर्यात लाइसेंस (यदि लागू हो) या कोई अन्य दस्तावेज जिसमें यह प्रदर्शित हो कि निर्यात किए जाने वाले देश का निर्यात विनियमन भारत से ऐसे पुनः निर्यात/वापसी को प्रतिबंधित नहीं करता है;
- घ. ऐसे किसी प्रतिबंध के मामले में निर्यातक एक स्पष्टीकरण पत्र प्रदान करेगा जिसमें उन देशों/इकाईयों की सूची का ब्यौरा होगा जिन्हें पुनः निर्यात/वापसी प्रतिबंधित/विनियमित हो;

#### II. वांछित मदों के लिए प्रौद्योगिकी के पुराने होने/आर्डर को निरस्त करने का प्रमाण:

लागू दस्तावेज (दस्तावेजों) में से कोई:

- क. आयातित मदों की प्रौद्योगिकी के पुराने होने का प्रमाण;
- ख. भारतीय आयातक द्वारा आर्डर निरस्त करना;
- ग. आगमन पर खराब होने आदि के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट;
- घ. दावे के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज;

#### III. वांछित मदों के लिए पुनः निर्यात/वापसी के लिए दायित्व का प्रमाण:

लागू दस्तावेज (दस्तावेजों) में से कोई:

- क. पुनः निर्यात/वापसी के लिए निर्यातक और आपूर्तिकर्ता/ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) के बीच संविदा करार;
- ख. क्रय आदेश जिसमें ऊपर स्पष्ट किए गए किन्हीं कारणों से पुनः निर्यात/वापसी के विशेष उल्लेख के साथ आयात की शर्तें हों;
- ग. क्षतिग्रस्त/आने के बाद खराब होने वाली मदों के प्रतिस्थापन से संबंधित वारंटी नीति/शर्तें;

#### IV. आवेदक फर्म से प्राप्त किया जाने वाला एक शपथ पत्र:

फर्म के लेटर हैड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और मुहर लगा एक शपथ पत्र जिसमें उल्लेख किया गया हो कि:

- क. स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी संख्या (संख्याओं) के साथ पुनः निर्यात/वापसी की जाने वाली आयातित मदों का विवरण;
- ख. कि मद (मदों) को जहां से मूलतः आयातित किया गया, का निर्यात उसी विदेशी इकाई अथवा ओईएम [ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण (अभिकरणों) सहित] को किया जा रहा है (जो भी लागू हो);
- ग. कि भारत में आयात किए जाने के बाद मद (मदों) के विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है;
- घ. आयातित मदों की प्रौद्योगिकी के पुराने होने, आर्डर के रद्द होने, पहुंचने पर खराब होने इत्यादि जैसे कारणों की वजह से मदों का पुनः निर्यात/वापसी (जो भी लागू हो) को आयात की शर्तों अथवा संविदात्मक करार के अधीन अनुमत है;
- (ड.) इकाई जिससे मूलतः आयात किया गया, को अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात करने हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदन को अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ परामर्श किए बिना अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) के अलावा किसी इकाई को पुनः निर्यात/वापसी किए जाने के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष

आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विदेशी इकाई जहां मद (मदों) का निर्यात किया जाना है, के प्रत्यय पत्रों का सत्यापन करने के पश्चात् किया जाएगा।

(च) ऐसे सभी प्राधिकार पत्रों को अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष कार्यान्तर आधार पर अनुमोदन की पुष्टि हेतु इसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

### 3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आयातित मदों की प्रौद्योगिकी पुरानी होने, भारतीय क्रेता/वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा आर्डर रद्द किए जाने, पहुंचने पर खराब होने इत्यादि जैसे कारणों की वजह से आयातित स्कोमेट (मदों) के पुनः निर्यात/वापसी हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.79ड. को सम्मिलित किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th December, 2018

No. 59/2015-2020

**Subject:-** Inclusion of Paragraph 2.79 E in the Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to lay down the procedure for re-export/return of imported SCOMET items.

**F. No. 01/91/180/18/AM-17/EC.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendment to the Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20 for inclusion of a new entry at Paragraph 2.79E, with immediate effect.

2. A new entry inserted under sub-para 2.79 D of HPB relating to re-export/return of imported SCOMET item(s) will read as under:

**“Para 2.79 E- Issue of export authorizations for re-export/return of imported SCOMET items to the same foreign entity or to its OEM (including agencies authorized by OEM)**

Application for grant of authorization for re-export/return of imported SCOMET items to the foreign entity from which it has been originally imported or to its OEM (including agency authorized by OEM), for reasons such as obsolescence of technology of imported items; cancellation of order by the Indian buyer /end user; dead on arrival etc., shall be considered by Chairman IMWG, on the following conditions:

- (a) The export should only be to the entity from which the item(s) has/have been imported or to the OEM (including agency/ies authorized by OEM);
- (b) No details on ‘End Use’ and ‘End Use Certificate’ would be required;
- (c) No export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- (d) The application is accompanied with the following additional documents (depending on whichever is applicable/appropriate):

**i. Proof of import of the item(s):**

- a. Documentary proof that the item(s) originally imported, match with intended item(s) of re-export/return;
- b. Bill of entry containing details of the items to be returned;
- c. Export License (if applicable) or any other documents showing that export regulation of the country of export does not have any restriction on re-export/return from India;
- d. In case of any such restriction, the exporter will provide a letter of explanation detailing the list of countries/entities, to which re-export/return is restricted / regulated;

**ii. Proof of obsolescence/cancellation of order for intended items:**

Any of the applicable document(s):

- a. Proof of obsolescence of technology of imported items;
- b. Cancellation of order by Indian importer;
- c. Inspection report in case of dead on arrival etc.;
- d. Any other document in support of the claim for return

**iii. Proof of obligation for re-export/return for intended items:**

Any of the applicable document(s):

- a. Contract agreement between exporter and the supplier/OEM (including agency authorized by OEM) for re-export/return;
- b. Purchase order containing terms of import with specific mention of re-export/return due to any of the reasons explained above;
- c. Warranty policy/conditions on replacement of damaged /dead on arrival items;

**iv. An Undertaking from the applicant firm:**

An Undertaking on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating:

- a. Details of imported items to be re-exported/returned alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s);
  - b. That item(s) are being exported to the same foreign entity from which it was originally imported or to the OEM [including agency(ies) authorized by OEM] (whichever is applicable);
  - c. That there has been no change in the specifications of the item(s) after import in India;
  - d. That the re-export/return of items due to reasons such as obsolescence of technology of imported items; cancellation of order by Indian buyer/end user; dead on arrival etc. (whichever is applicable) is allowed under the conditions of import or contractual agreement.
- (e) Applications for grant of authorizations for export to the entity from which it was originally imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of re-export/return to an entity other than the OEM (including agencies authorized by OEM), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.
- (f) All such authorizations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

**3. Effect of this Public Notice:**

Paragraph 2.79 E has been inserted in the Handbook of Procedures of FTP 2015-2020 to lay down the procedure for re-export/return of imported SCOMET item(s) due to reasons of obsolescence of technology of imported item(s); cancellation of order by the Indian buyer/end user; dead on arrival, etc.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade Ex- officio Addl. Secy.